

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक.. B/3424 /

जबलपुर, दिनांक.. 16/07 2019

चार-9-31/10

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 2446/21-ब (एक) दिनांक 15.4.2019 में दिये गये निर्देशों के तहत रजिस्ट्री आदेश क्र० ए/2394 दिनांक 26.5.2004 द्वारा श्री एच०यू०अहमद, सेवानिवृत्त उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का चयनग्रेड वेतनमान 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में किये गये वेतन निर्धारण को एतद् द्वारा संशोधित किया जाकर उनका पुनरीक्षित वेतन निर्धारण उनके नाम के सम्मुख दर्ज प्रविष्टि के अनुसार किया जाता है :-

चयनग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दि० को एंटी वेतनमान में प्राप्त वेतन व दिनांक व चयन ग्रेड वे०मा० में आगामी वे०वृ० का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दि० को चयनग्रेड वेतनमान में प्राप्त वेतन व दिनांक व आगामी वे०वृ० का दि०	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.7.2000	<u>18750.00</u>			19150.00	8.7.2000
18750-	17.2.2000			19600.00	1.2.2001
22850	17.2.2001			20050.00	1.2.2002
	17.2.2002			20500.00	1.2.2003
	17.2.2003			20950.00	1.2.2004
	17.2.2004			21400.00	1.2.2005
	17.2.2005			<u>65830.00</u>	<u>1.1.2006</u>
पुनरीक्षित वेतनमान	<u>1.1.2006</u>			67210.00	1.2.2006
57700-	17.2.2006			68750.00	1.2.2007
70290	17.2.2007				
		10.10.2007	<u>68750.00</u>	70290.00	10.10.2007
			17.2.2007		
			10.10.2008	71830.00	1.10.2008
			10.10.2009	73370.00	1.10.2009
			10.10.2010	74910.00	1.10.2010
			10.10.2011	76450.00	1.10.2011
सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2011					

sd/-

(डॉ०आर०के०मिश्रा)
ओ०एस०डी०(लेखा)

पृष्ठांकन क्रमांक B/3425 /

जबलपुर, दिनांक. 16/7 2019

चार-9-31/10

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर/भिण्ड/रीवां/छिंदवाड़ा/शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
2. प्रधान न्यायाधीश, जबलपुर/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
3. श्री एच०यू०अहमद, से०नि०जिला न्यायाधीश, 31/1 हंजरत की कोठी के पास, नूरगंज, सेवा नगर, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

नोट - रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018 दिनांक 1.3.2019 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है । अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें ।

16/7/19
ओ०एस०डी०(लेखा)
Pm